## न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0 )
वाद सं0 : 55 सन 2019
अनवान :–

1. भवंरलाल पुत्र मालाराम जाति ब्रहाम्ण निवासी धानसिया तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

असल प्रतिवादी

2. किशनलाल 3 शंकरलाल 4 चानणमल 5 राधेश्याम पुत्र मालाराम जाति ब्रहाम्ण निवासी धानसिया तहसील नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।
उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी
निर्णय दिनांक :– 15.02.2019

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट इस आश्य का पेश किया की रोही मोजा धानसिया के खसरा न0 345 की 40.00 बीधा भूमि दिनांक 18.07.1968 को मालाराम , मगलाराम पि0 हडमानराम को आवंटन की गई थी आवंटन के समय से मालाराम , मगलाराम पि0 हडमानराम का कब्जा काश्त मे चली आ रही है।

रोही मोजा धानसिया के खसरा न0 345 की 40.00 बीधा भूमि भू–प्रबन्धक विभाग द्वारा पैमाईश में वर्तमान खसरा न0 1025/1538 की 38.05 बीधा परिर्वतन एवं पैमुद की गई है।

मालाराम पुत्र हडमान का देहान्त हो चुका है जिसके जायज एवं कानुनी वारिसान वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 है जिसके वाद भूमि कब्जा काश्त मे चली आ रही है एवं राजस्व रिकार्ड में मालाराम के वारिसान के नाम विरासतन से दर्ज भी हो चुकी है।

मालाराम , मगलाराम पि0 हडमानराम को भूमि दिनांक 18.07.1968 को आवंटन की गई थी जो पूर्व में मालाराम के कब्जा काश्त में रही है वाद फोतदगी मालाराम उसके वारिसान जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज के कब्जा काश्त में चली आ रही है मालाराम के आवंटन होने के तीन वर्षो के बाद बालूराम या उसके वारिसान जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज है खातेदार काश्तकार हो चुके थे किन्तु राजस्व रिकार्ड में मालाराम के वारिसान वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 को गेरखातेदार दर्ज कर रखा है जिससे वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के खातेदारी अधिकारों को हनन होता है वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 उनके पूर्वजो को आवंटन की गई भूमि को बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जाकर रोही मौजा धानसिया के खाता संख्या 661/722 के खसरा न0 1025/1538 की 9.6267हैक भूमि का वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी सख्या 2 ता 5 को बहिब का खातेदार काश्तकार दर्ज करवाने के आदेश फरमावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के विरूद्व किसी प्रकार की रिलिफ नही होने के कारण तर्क किया गया । प्रतिवादी सख्या 1 की ओर से पेरोकार राज न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद के सम्बध में जबाब पेश किया की वाद भूमि सही तौर से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है वर्तमान में ग्राम धानसीया उपनिवेशन क्षेत्र धोषित हो चुका है बारानी क्षैत्रो मे आवंटन नियम 1957/1970 के तहत आवंटित रकबा की खातेदारी के सम्बध में राज्य सरकार के उपनिवेशन विभाग द्वारा निधारित प्रक्रिया से आरक्षित दर से राशि जमा करवाने के उपरानत ही खातेदारी विधिसम्मत कार्यवाही आपेक्षित है एवं राज्य सरकार के हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद

... मालाराम, मगलाराम पि. हडमानराम के कब्जा काश्त मे रहा एव प्रमाणित

प्रतिलिपि आंवटन आदेश दिनांक 18.7.1968 सलग्न वाद है। जिसमे यह रोशन है।

Web Copy Not Official

का निस्तारण फरमावे। पेरोकार राज का जबाब शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मोजा धानसिया के खसरा न0 345 की 40.00 बीधा भूमि दिनांक 18.07.1968 को मालाराम , मगलाराम पि0 हडमानराम को आवंटन की गई थी आवंटन के समय से मालाराम , मगलाराम पि0 हडमानराम का कब्जा काश्त में चली आ रही है।

रोही मोजा धानसिया के खसरा न0 345 की 40.00 बीधा भूमि भू प्रबन्धक विभाग द्वारा पैमाईश में वर्तमान खसरा न0 1025/1538 की 38.05 बीधा परिर्वतन एवं पैमुद की गई है।

मालाराम पुत्र हडमान का देहान्त हो चुका है जिसके जायज एवं कानुनी वारिसान वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 है जिसके वाद भूमि कब्जा काश्त में चली आ रही है एवं राजस्व रिकार्ड में मालाराम के वारिसान के नाम विरासतन से दर्ज भी हो चुकी है।

मालाराम , मगलाराम पि0 हडमानराम को भूमि दिनांक 18.07.1968 को आवंटन की गई थी जो पूर्व में मालाराम के कब्जा काश्त में रही है वाद फोतदगी मालाराम उसके वारिसान जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज के कब्जा काश्त में चली आ रही है मालाराम के आवंटन होने के तीन वर्षो के बाद बालूराम या उसके वारिसान जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज है खातेदार काश्तकार हो चुके थे किन्तु राजस्व रिकार्ड में मालाराम के वारिसान वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 को गेरखातेदार दर्ज कर रखा है जिससे वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के खातेदारी अधिकारों को हनन होता है वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 उनके पूर्वजो को आवंटन की गई भूमि को बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की वाद भूमि सही तौर से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है वर्तमान में ग्राम धानसीया उपनिवेशन क्षैत्र धोषित हो चुका है बारानी क्षैत्रो में आवंटन नियम 1957/1970 के तहत आवंटित रकबा की खातेदारी के सम्बध में राज्य सरकार के उपनिवेशन विभाग द्वारा निधारित प्रक्रिया से आरक्षित दर से राशि जमा करवाने के उपरानत ही खातेदारी विधिसम्मत कार्यवाही आपेक्षित है।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मोजा धानसिया के खसरा न0 1025/1538 की 40.00 बीधा भूमि दिनांक 18.07.1968 को मालाराम पुत्र. हडमान को आवंटन की गई थी जो प्रस्तुत आवंटन आदेश से पूर्णत्या साबित है।

मालाराम पुत्र हडमान का देहान्त हो चुका है जिसके जायज एवं कानुनी वारिसान वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 है जिसके वाद भूमि कब्जा काश्त में चली आ रही है एवं राजस्व रिकार्ड में मालाराम के वारिसान के नाम विरासतन से दर्ज भी हो चुकी है जिसके सम्बध में पेरोकार राज ने किसी प्रकार को कोई ऐतराज पेश नही किया गया है।

भू0प्रबन्ध विभाग ने पैमाईश हाल में रोही मौजा धानसिया के साबिका खसरा न0 345 की 40.00 बीधा भूमि को हाल खसरा न0 1025/1538 की 38.05 में परिवर्तन कर पैमुद कर दी गई है जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में रोही मोजा धानसिया के खाता संख्या 661/722 के खसरा न0 1025/1538 की 9.6267 हैक में पैमुद हो चुकी है जो आवंटी मालाराम के वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के नाम से बतौर गेरखातेदार दर्ज है अर्थात वाद भूमि पूर्व में आवटि मालाराम पुत्र हडमान के कब्जा काश्त में थी जिसके देहान्त होने पर उसके जायज वारिसान जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज के कब्जा काश्त में चली आ रही है कब्जा काश्त के सम्बध में पेरोकार राज के द्वारा कोई ऐतराज पेश नही किया गया है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि उसके पूर्वज बालूराम को आवंटन होने की दिनांक 18.07.1968 के तीन वर्ष बाद खातेदार काश्तकार हो गया था एवं पेरोकार राज का कथन है कि उपनिवेशन क्षेत्र धोषित होने पर किमतन खातेदारी अधिकार प्राप्त किये जा सकते है।

... मालाराम पि. हडमानाराम के कब्जा काश्त में रहा एवं प्रमाणित

प्रतिलिपि आंवटन आदेश दिनांक 18.7.1968 सलग्न वाद है। जिसमे यह रोशन है।

सत्यमेव जयते
Copy Not Official

राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर 1957/1970 के तहत आवंटित भूमिया जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आ गई है के खातेदारी अधिकार दिये जाने के सम्बध में जारी किये गये है वाद उन्ही के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त कर सकता है एवं वाद इसके लिये सहमत भी है।

राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1970 के तहत आती थी परन्तु बाद में उपनिवेशन क्षेत्र में आ गयी उस भूमि के खातेदार अधिकार प्रदान करने के लिए राजस्व (उपनिवेशन) विभाग जयपुर की अधिसूचना क्रमांक एफ–4 (2) उप/2005 जयपुर दिनांक 07.03.2008 द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गाधी नहर परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1955 के नियम 17 में संशोधिन किया गया है कि जो भूमि 1970 के नियमो के तहत आवंटित थी उसके खातेदार अधिकारो के लिए अनु0 जाति अनु0 जन जाति, अन्य पिछडा वर्ग व बीपीएल परिवारो से इस परियोजना से इस परियोजना क्षेत्र में निर्धारित आरक्षित दर का 10 प्रतिशत व अन्य जातियों के लिए 20 प्रतिशत राशि एक मुश्त वसूल कर खातेदारी अधिकार दिये जा सकते है। इस परियोजना क्षेत्र में भाखरा नहर परियोजना क्षेत्र के नियम व आरक्षित दरे लागू है। अधिसूचना दिनांक 07.03.2008 निम्नानुसार है :–

(4) Not with Standing anything contained in these rules the price of land persons to whom loan allotted under the Rajasthan Land Revenue (Allotment of Land foe Agriculture Purposes) Rules 1970 prior it declaration of colony area shall be 10% of the fixed under sub rule (1) in case of members of Scheduled castes scheduled tribes other backward classes and below poverty line families and 20% of the [rice fixed under sub rule (1) un case of others the price so fixed shall be payable in one instalment"

इसी संबंध में राजस्व (उपनिवेशन) विभाग जयपुर के पत्रांक प–4 (2) उप/2005 जयपुर दिनांक 02.01.2008 द्वारा मार्गदर्शन प्रदान किया गया है कि राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1970 में भूमि का अस्थायी आवंटन नही किया जाता है, बल्कि आवंटन से पहले गैर खातेदार के रूप में किया जाता है एवं बाद में खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाते है। ऐसी स्थिति में अस्थायी कृषि पट्टा धारक में नियम 1970 के गैर खातेदारी को भी सम्मिलित माना जाकर कार्यवाही की जावे।

इस प्रकार राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1970 के तहत गैर खातेदार दर्ज आसामियों को अस्थायी काश्तकार माना जाकर उक्त अधिसूचना दिनांक 07.03.08 के अनुसार एक मुश्त राशि वसूल कर खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकते है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा धानसिया के खाता संख्या 661/722 के खसरा न0 1025/1538 की 9.6267हैक भूमि जो वर्तमान मे इन्दिरा गाधी नहर परियोजना क्षैत्र में आती है की आरक्षित दर 2000/– प्रतिबीधा का 20 प्रतिषत 400/–प्रतिबीधा की दर से राशि एक मुश्त जमा होने के बाद वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 को राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाकर जमाबन्दी सशोधन की जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पर्चा डिक्री जारी कि जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 15.02.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास में सुनाया गया

S.Zaydi
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

... कब्जा काश्त मे रहा एव प्रमाणित

प्रतिलिपि आंवटन आदेश दिनांक 18.7.1968 सलग्न वाद है। जिसमे यह रेशन है।